



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर छेडखानी व जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 63/2017 धारा- 354,323,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. जितेन्द्र पुत्र रामआसरे निवासी- लींगा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
एडीजीसी अवधनरेश  
सिंह चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0 इन्द्रपाल  
सिंह



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव